उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

आदर्श संस्कृत ग्राम अवस्थापना एवं विस्तार परियोजना 2026-27 हेतु

(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से संचालित)

06 आदर्श संस्कृत ग्राम में प्रशिक्षकों के निर्धारणार्थ

महत्त्वपूर्ण सूचना (सितम्बर 2026)

1. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान (उत्तराखण्ड सरकार) द्वारा प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार-प्रसार एवं राज्य में संस्कृतमय वातावरण निर्माण के उद्देश्य से आदर्श संस्कृत निर्माण एवं विस्तार परियोजना का संचालन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाना निर्धारित है।
2. **उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार, पौडीगढवाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत व पिथौरागढ के आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण व संस्कृतमय वातावरण निर्माण आदि कार्य हेतु योग्य एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष नितान्त अस्थायी रूप में प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम में एक-एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है।**
3. उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान, हरिद्वार में किसी भी परियोजना के संचालन हेतु कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं तथा न ही स्थायी नियुक्ति दी जाती है तथा न ही संस्थान में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षक के पद सृजित हैं।
4. अत: निर्धारित प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम में संस्कृत सम्भाषण शिक्षण हेतु प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से एक वर्षीय परियोजना (वित्तीय वर्ष 2026-27) 31.03.2027 तक के लिए की जा रही है तथा केन्द्रीय संस्कृत वि.वि. से अनुदान स्वीकृत होने पर उक्त परियोजना को पुन: अग्रिम वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
5. **आदर्श संस्कृतग्राम में संस्कृत प्रशिक्षक हेतु इच्छुक एवं योग्य प्रतिभागी मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार Walk in Interview) हेतु संलग्न निर्धारित आवेदनपत्र, शैक्षणिक आत्मवृत्त, मूल आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व 01 फोटो (पासपोर्ट साईज 3.5X4.5 से.मी.) सहित दिनांक 22.09.2026, मंगलवार की प्रात: 10:00 बजे तक उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्, संस्कृतभवनम्, रानीपुरझाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।**
6. साक्षात्कार में प्रतिभागी के सफल घोषित होने के पश्चात् काउंसिल के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार समस्त शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति का 01 सैट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता सिद्ध न होने की स्थिति में सफल प्रतिभागी घोषित होने पर भी प्रशिक्षक निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत अनर्ह माना जायेगा।
7. आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत प्रशिक्षक का मुख्य कार्य है- उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान द्वारा निर्धारित समय व पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त ग्रामवासियों को संस्कृत सम्भाषण सिखाना, संस्कृतमय वातावरण का निर्माण करना, संस्कृत का प्रचार-प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना तथा नैतिक शिक्षा का अवबोध कराना आदि। उक्त हेतु प्रशिक्षक के द्वारा संस्कृत ग्राम में न्यूनातिन्यून 08 घण्टे कार्य किया जाना होगा।
8. **प्रशिक्षक की योग्यता**- प्रशिक्षक की न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 12 कक्षा/ समकक्ष उत्तीर्ण हो तथा संस्कृत सम्भाषण में अनिवार्य रूप से दक्ष व अध्यापन कार्य में कुशल होना चाहिए।

9. प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार का राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से अनुदान/ मानदेय/ वेतन प्राप्त न किया जा रहा हो। प्रतिभागी के साक्षात्कार में सफल घोषित होने के पश्चात् उक्त से सम्बन्ध में एवं आवेदन पत्र के क्रमांक 15 के सम्बन्ध में रु.10/- (रूपये दस मात्र) का शपथ पत्र देय होगा।
10. प्रतिभागी की आयु दिनांक 01.09.2026 तक 45 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
11. प्रतिभागी की उपर्युक्त योग्यता एवं संस्कृत सम्भाषण में दक्ष होने पर उसी संस्कृत ग्राम/ विकासखण्ड अथवा जनपद का स्थायी निवासी व महिला प्रतिभागी होने पर वरीयता प्रदान की जा सकती है तथा आवश्यक होने पर संस्थान प्रतिभागी को राज्य के किसी भी जनपद के संस्कृत ग्राम में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित कर सकता है।
12. साक्षात्कार में प्रतिभागी से सम्भाषण दक्षता व व्याकरण, प्रशिक्षण व लेखन कौशल (हिन्दी संस्कृत अनुवाद) एवं संस्कृतवाङ्मय व उत्तराखण्ड के सामान्यज्ञान आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा साक्षात्कार हेतु संस्कृतसम्भाषण दक्षता व व्याकरण 40 अंक, प्रशिक्षण-शिविर संचालन कौशल 30 अंक, संस्कृतवाङ्मय व उत्तराखण्ड सामान्यज्ञान 20 एवं प्रभाव 10 अंक सहित कुल 100 अंक निर्धारित हैं। प्रतिभागी को अर्हता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
13. साक्षात्कार समिति द्वारा समेकित रूप से प्रशिक्षक के रूप में सफल प्रतिभागी घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।
14. साक्षात्कार में सफल प्रतिभागी को संस्कृत सम्भाषण आदि कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित प्रशिक्षण अवधि 31.03.2027 से पूर्व कार्य छोड़ने की स्थिति में सचिव, उ.सं.संस्थान द्वारा लिया गया निर्णय प्रशिक्षक को मान्य होगा।
15. प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्राम के प्रशिक्षक हेतु प्रतिमाह रु.20,000/-(रूपये बीस हजार मात्र) मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है, जो केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त होने पर ही प्रदान किया जायेगा।
16. प्रत्येक सफल प्रतिभागी को संस्कृतग्राम में प्रशिक्षण कराये जाने से पूर्व आवश्यक होने पर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना। प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी।
17. आदर्श संस्कृत ग्रामों हेतु निर्धारित संस्कृत प्रशिक्षक को उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थान एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा समय-समय पर प्रेषित समस्त निर्देशों/ नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार एवं संस्कृतमय वातारण निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनियमितता तथा ग्राम वासियों के साथ व्यवहार शून्यता व चारित्रिक न्यूनता आदि के होने पर सचिव उ.सं.संस्थान. द्वारा प्रशिक्षक को तत्काल शिक्षण व्यवस्था से निष्कासित किया जायेगा।
19. प्रत्येक जनपद के प्रशिक्षक की व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अतः भविष्य में किसी प्रकार के स्थायित्व के लिए किसी भी स्तर से बाध्य नहीं करेगा और न ही इस पर कोई विचार किया जायेगा।
20. उक्त महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाईट- www.uksa.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार)
सचिव

अत्र नूतनं
छायाचित्रं संस्थाप्य
स्वप्रमाणितं करोतु।

उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम् (उत्तराखण्डसर्वकारः)

आदर्शसंस्कृतग्राम-अवस्थापना-परियोजना 2026-27

(केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली इत्यस्य आर्थिकसहयोगेन सञ्चालिता)

प्रशिक्षक-निर्धारणार्थम् आवेदन पत्रम्

(सितम्बर 2026)

(1.) संस्कृतग्रामः...जनपदनाम......................................(यस्मिन् ग्रामे प्रशिक्षणकार्यं कर्तुमिच्छति)

(2.) नाम...(पुरुषः/महिला)

(3.) जन्मतिथिः.................................(01.09.2026 दिनाङ्कं यावद् आयुः दिनानि..........., मासः ...., वर्षाणि ....)

(4.) पितुः नाम...(5.) मातुः नाम...

(6.) पत्राचार-सङ्केतः..

....कूटसंख्या..................................

(7.) चलवाणी..(8.)अणुवाक्(ई-मेल)...

(9.)आधारसंख्या..(स्वप्रमाणित-प्रतिकृतिः संयोजनीया)

(10.)स्थायि-पत्रसङ्केतः...

.... कूटसंख्या.................................

(11.) राष्ट्रियता.., (12.) वैवाहिकस्थितिः...

(13.) शैक्षिकयोग्यता-

कक्षा	उत्तीर्णतावर्षम्	अनुक्रमाङ्कः	परिषद्/विश्वविद्यालयः	पूर्णाङ्कः	प्राप्ताङ्कः	प्रतिशतं	श्रेणी
पू.म./हाईस्कूल							
उ.म./इण्टर							
शास्त्री/ बी.ए. संस्कृतम्							
अन्यत्							

(14.) संस्कृतसम्भाषण-प्रशिक्षणप्राप्त-पाठन-अनुभवः-

प्रशिक्षणस्य नाम	दिनांकतः पर्यन्तम्	स्थानम्	अभ्युक्तिः

(15.) अहं शपथं करोमि यत् उपर्युक्तं सम्पूर्णं विवरणं सत्यम् अस्ति। अहं संस्कृतसम्भाषणे संस्कृतसम्भाषणस्य प्रशिक्षणे च दक्षः अस्मि। अस्मिन् सन्दर्भे महत्त्वपूर्ण-दिशा-निर्देशान् सम्यक्तया पठितवान्/पठितवती, तत्र सर्वेषां नियमबिन्दूनां च अङ्गीकारः अस्ति। अहम् एतदपि जानामि यत् इयम् आदर्शसंस्कृतग्राम-विस्तारपरियोजना एकवर्षीया (वर्षम् 2026-27) अस्ति, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आर्थिकसहयोगेन च प्रचलति, हरिद्वारस्थे उत्तराखण्डसंस्कृतसंस्थाने एतन्नामकं पदम् अपि नास्ति। अतः अहं प्रशिक्षकरूपेण स्थायित्वविषये कदापि न्यायालये वादं न करिष्यामि।

दिनाङ्कः

प्रतिभागि-हस्ताक्षराणि